BY Akhilesh Kumar (GT Assistant professor)
JK College Biraul Darbhanga
YouTube :A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework unit-iii consumer protection Act, 1986 question answer

प्रश्न: राज्य आयोग के गठन, क्षेत्र तथा विवाद के निपटारे के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो।

उत्तर–

राज्य आयोग (State Commission)

स्थापना– राज्य सरकार 'अधिसूचना द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' की , स्थापना कर सकेगी जिसे राज्य आयोग के नाम से जाना जायेगा। [धारा 9(b)]

राज्य आयोग का गठन– राज्य आयोग का गठन निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा-

(i) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो और जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाये, वह इस आयोग का अध्यक्ष होगा। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना राज्य सरकार ऐसी नियुक्ति नहीं कर सकती है।

(ii) कम से कम दो सदस्य होंगे किन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इन सदस्यों में से एक महिला सदस्य भी होगी।

इन सदस्यों की योग्यतायें निम्नलिखित हैं-

(अ) आयु 35 वर्ष से कम न हो,

(ब) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखता हो,

(स) योग्य, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हों जिनको अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान और कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव हो।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि राज्य आयोग के कुल सदस्यों में से न्यायिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या आधे से अधिक नहीं होगी।

यहाँ न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का आशय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जिला स्तर या ट्रिब्यूनल के समान स्तर पर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का ज्ञान एवं अनुभव हो।

अयोग्यतायें (Disqualifications)-निम्नांकित में से किसी भी अयोग्यता वाले व्यक्ति को राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता-

(i) यदि उसे किसी अपराध के लिये सजा मिली हो तथा जेल भेजा गया हो तथा वह अपराध राज्य सरकार की राय में नैतिक दुराचरण से सम्बन्धित हो।

(ii) यदि वह अमुक्त दिवालिया हो।

(iii) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति हो।

(iv) यदि वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण वाली समामेलित संस्था की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया हो।

(v) यदि राज्य सरकार की राय में, उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जो सदस्य के रूप में , उसके कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(vi) यदि उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य कोई अयोग्यतायें हों।

सदस्यों की नियुक्ति– राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ऐसी चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा-

(i) राज्य आयोग का सभापति इसका अध्यक्ष होगा;

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव इसका सदस्य होगा;

(iii) उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्रभारी सचिव भी सदस्य होगा।

जब राज्य आयोग का अध्यक्ष अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य न कर पाये तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश को नामित करने के लिये मामले को भेजेगी।

वेतन या मानदेय, अन्य भत्ते तथा सेवा की शर्तें-राज्य आयोग के सदस्यों का वेतन या मानदेय (Honorarium) तथा अन्य भत्ते एवं उनकी सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जायेगी। [धारा 16(2)]

राज्य आयोग के सदस्यों का कार्यकाल-राज्य आयोग के सदस्य का कार्यकाल, 5 वर्ष तक अथवा सदस्य की 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, माना जाता है। परन्तु उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के लागू होने के पूर्व नियुक्त अध्यक्ष या सदस्य अपने कार्यकाल पूरा होने तक इन पदों पर बने रह सकेंगे।

पुनर्नियुक्त–आयोग का प्रत्येक सदस्य पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिये या 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पुनः

नियुक्ति के योग्य होगा बशर्ते कि वह नियुक्ति की योग्यताओं एवं अन्य शर्तों को पूरी करता हो।

राज्य, आयोग का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction of State Commission)

राज्य आयोग का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित हैं-

1, जहाँ माल या सेवा का मूल्य और मुआवजा जिसका दावा किया गया है उसका मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।

2, जिला मंचों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना।

3, जब राज्य आयोग को लगे कि जिला मंच ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है या कोई अनियमितता की है तो जिला मंच से सम्बन्धित पत्रावली मंगवाकर उस पर उपयुक्त आदेश निर्गमित करना।

4,किसी शिकायत पर विचार करना यदि विरोधी पक्षकार शिकायत के समय राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार में वास्तव में स्वेच्छा से रहता है या अपना कारोबार करता है या उस कारोबार की शाखा है या अपने निजी लाभ के लिये कोई कार्य करता है।

5, किसी ऐसी शिकायत पर विचार करना जिस पर कार्यवाही का कारण आयोग के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। [2002 में संशोधित धारा 17]

राज्य आयोग द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया– राज्य आयोग द्वारा शिकायतों की प्राप्ति एवं निवारण के लिये वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो कि जिला मंच द्वारा अपनायी जाती है। यदि जिला मंच की कार्यविधि में कोई संशोधन किया जाता है तो वे संशोधन ज्यों के त्यों राज्य आयोग की कार्यविधि पर भी लागू होंगे। (धारा 18)

राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील– राज्य आयोग के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। किन्तु राष्ट्रीय आयोग उपर्युक्त 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अपील विचारार्थ स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि वह इस बात से सन्तुष्ट हा जाये कि निर्धारित अवधि में अपील न करने के पर्याप्त कारण थे। (धारा 19)